



आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019
सीआईएन: L74899DL1993GOI053677
ई-मेल: complianceofficer@ifcilttd.com; वेबसाइट: www.ifcilttd.com
टेलीफोन: 91-(011)- 4173 2000, फ़ैक्स: 91- (011)- 2623 0201

आईएफसीआई लिमिटेड की असाधारण महासभा (ईजीएम)

दिन	:	बृहस्पतिवार
दिनांक	:	24 फरवरी, 2022
समय	:	प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी)
स्थान	:	सभागार, पहली मंजिल आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस नई दिल्ली - 110 019 {वीडियो कान्फ्रेंस(वीसी)/अन्य आडियो वीडियो माध्यमों (ओएवीएम) की मार्फत}

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण महासभा (ईजीएम) बृहस्पतिवार, दिनांक 24 फरवरी, 2022 को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) सुविधा की मार्फत सभागार, पहली मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में निम्नलिखित कारोबार के संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी:

विशेष कारोबार:

मद संख्या 1: भारत सरकार को अधिमाम्य आबंटन की मार्फत 100 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर जारी करना

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना एवं यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा उनके बिना, विशेष संकल्प (संकल्पों) के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कम्पनी (प्रतिभूतियों के प्रविवरण तथा आबंटन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62 तथा लागू अन्य उपबन्धों, यदि कोई हों, कम्पनी (शेयर पूंजी व डिबेंचर) नियमावली, 2014 (समय-समय पर लागू किसी सांविधिक आशोधन (आशोधनों) या उनके पुनः अधिनियमन सहित), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम तथा प्रकटन अपेक्षाएं) नियमावली, 2018 (आईसीडीआर नियमावली) के उपबन्धों, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण व अधिकार में लेना) नियमावली, 2011, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (आन्तरिक लेन-देन निषेध) नियमावली, 2015, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमवली, 2015 (सूचीकरण विनियमावली) के उपबन्ध, प्रत्येक यथासंशोधित, अन्य कोई लागू विधि, नियम एवं विनियम तथा कम्पनी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के लागू उपबन्धों और कम्पनी द्वारा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. (एनएसई) के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करारों और उपयुक्त सांविधिक/नियामक प्राधिकरणों के आवश्यक अनुमोदनों/मंजूरीयों/अनुमतियों, जो भी लागू हों, की शर्त के अधीन, तथा इनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदन/मंजूरीयां देते समय निर्धारित की जानी वाली शर्तों के अधीन और कम्पनी के निदेशक बोर्ड (जिसे इसमें आगे बोर्ड कहा जाएगा और जिसके अन्तर्गत कोई समिति/समितियां भी शामिल समझी जाएंगी, जिसे बोर्ड ने इस संकल्प द्वारा बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के लिए गठित किया हो या गठित किया जा सकता हो) द्वारा यथा सहमत शर्तों पर, कम्पनी के प्रत्येक 10/- रुपए (दस रुपए) के अंकित मूल्य वाले 6,10,12,812 (छः करोड़ दस लाख बारह हजार आठ सौ बारह) इक्विटी शेयर, भारत सरकार को 16.39 रुपए (सोलह रुपए उनतालीस पैसे केवल) प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर {6.39 रुपए (छः रुपए उनतालीस पैसे केवल) के प्रीमियम सहित} कुल मिलाकर 100,00,00,000 रुपए (एक सौ करोड़ रुपए) के अधिमाम्य आबंटन आधार पर सृजित करने, निर्गम करने, पेश करने और आबंटन करने के लिए बोर्ड को सदस्यों की सहमति एतद्वारा प्रदान की जाए और एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर सभी प्रकार से कम्पनी के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समरूप माने जाएंगे।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को आवश्यक आवेदन करने और आवश्यक समझे गए अन्य सभी प्रयास करने और भारत सरकार को आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के सूचीकरण के सम्बन्ध में बीएसई और एनएसई तथा डिपाजिटरीज अर्थात् नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") तथा सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") तथा भारत सरकार के डीमेट खाते में अपेक्षित स्टॉम्प ड्यूटी के भुगतान के बाद इन इक्विटी शेयरों को क्रेडिट करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि आईसीडीआर विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार उक्तानुसार जारी तथा आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण करने के उद्देश्य से "प्रासंगिक तारीख" 25 जनवरी, 2022 होगी, जो इन इक्विटी शेयरों को जारी करने के अनुमोदन हेतु 24 फरवरी, 2022 को होने वाली असाधारण महासभा की तारीख से 30 (तीस) दिन पूर्व की तारीख है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड (यहां विधिवत् गठित किसी भी समिति सहित) को ऐसे सभी कार्य, कृत्य और काम करने तथा आवश्यक या समीचीन समझे जाने वाले कार्य, उचित या वांछनीय, या उक्त शेयरों को जारी करने से सम्बन्धित किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के समाधान हेतु और आवश्यक, वांछनीय और व्यवहारिक सभी दस्तावेजों और लिखतों को अन्तिम रूप देने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

पंजीकृत कार्यालय

आईएफसीआई टावर

61 नेहरु प्लेस

नई दिल्ली - 110 019

सीआईएन: L74899DL1993GOI053677

टेलीफोन:011-41732000

फैक्स: 011-26230201

वेबसाइट: www.ifcilt.com

ई-मेल: complianceofficer@ifcilt.com

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार

(प्रियंका शर्मा)

कम्पनी सचिव

दिनांक: 25 जनवरी, 2022

टिप्पणियां:

1. निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के 17/2020, 15 जून, 2020 के 22/2020, 28 सितम्बर, 2020 के 33/2020 तथा 31 दिसम्बर, 2020 के 39/2020 के साथ पठित दिनांक 8 दिसम्बर, 2021 के परिपत्र संख्या 20/2021 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों के अनुसरण में कम्पनी की असाधारण महासभा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के उपबन्धों और सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (सेबी सूचीकरण विनियम) (यथासंशोधित) के उपबन्धों के अनुसार और एमसीए के दिनांक 8 दिसम्बर, 2021 के परिपत्र के अनुसार कम्पनी असाधारण महासभा में किए जाने वाले कारोबार के सम्बन्ध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य से, कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को प्राधिकृत एजेंसी के रूप में इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। असाधारण महासभा (वेन्यू वोटिंग) की तारीख को रिमोट मतदान पद्धति का उपयोग करने वाले सदस्य को मतदान की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
3. निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा लागू परिपत्र के अनुसार इस ईजीएम में सदस्यों के लिए बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्राक्सी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः प्राक्सी फार्म इस सूचना का भाग नहीं है। तथापि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधि जैसे कि भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या निगमित निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
4. असाधारण महासभा के आयोजन की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.ifcilt.com पर अपलोड की गई है। यह सूचना स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com से भी ली जा सकती है। ईजीएम के दौरान, ईजीएम की सूचना सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तथा ई-वोटिंग सिस्टम प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रसारित की जाएगी।
5. ईजीएम के लिए सभागार, प्रथम तल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110 019 को "बैठक का स्थान" माना जाएगा।
6. निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र संख्या 20/2020 के अनुसार ईजीएम बुलाने की सूचना की कोई भौतिक रूप से नहीं भेजी जाएगी। ईजीएम बुलाने की सूचना उन सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके सम्बन्धित डिपोजिटरी भागीदारों के पास पंजीकृत है।
7. वे शेयरधारक, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, से अनुरोध है कि वे अपनी ई-मेल आईडी (यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं) डिपॉजिटरी भागीदार के पास/आरएण्डएसटीए के पास (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं) पंजीकृत या अद्यतन कराएं। रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट से admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com सम्पर्क किया जा सकता है।
8. सदस्य ईजीएम नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट

पहले वीसी/ओएवीएम द्वारा असाधारण महासभा में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण महासभा में भागीदारी की सुविधा 1000 सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।

-
तथापि इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना असाधारण महासभा में उपस्थित होने की अनुमति है।

9. संस्थागत शेयरधारकों से अनुरोध व प्रोत्साहित किया जाता है कि वे कम्पनी की ईजीएम में भाग लें और अपना वोट करें।

-
10. ईजीएम में भौतिक उपस्थिति की अनुमति नहीं होगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण महासभा में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

11. सदस्यों को बैठक के दौरान प्रश्न करने की अनुमति होगी। प्रश्नों को अग्रिम रूप से complianceofficer@ifcilttd.com पर भेजा जा सकता है।

12. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के उपबन्धों के अनुसरण में मद संख्या 1 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों से सम्बन्धित विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

13. कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन आवश्यक संलग्न सूचना तथा व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सदस्यों के निरीक्षण के लिए सभी कार्य-दिवसों, शनिवार, रविवार व अवकाश के दिनों को छोड़कर, प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक असाधारण महासभा की तारीख तक उपलब्ध होंगे।

14. सेबी अपेक्षाओं के अनुसार डी-मैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पैन उस डिपोजिटरी भागीदार के पास जमा कराएं जो उनके डी-मैट खाते का रखरखाव कर रहे हैं। भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य अपने पैन के विवरण कम्पनी या आरएण्डएसटीए को भेज सकते हैं।

15. बैठक में संयुक्त धारक के भाग लेने के मामले में केवल वही संयुक्त धारक, जिसका नाम पहले धारक के रूप में पंजीकृत है, रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में वोट देने का पात्र होगा।

ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए शेयरधारकों के अनुदेश निम्नानुसार हैं:

(i) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 21 फरवरी, 2022 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) से आरम्भ होगी और बुधवार, 23 फरवरी, 2022 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कम्पनी के शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में या डीमैट रूप में है, कट-ऑफ तारीख के अनुसार बृहस्पतिवार, 17 फरवरी,

2022 तक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। तत्पश्चात् वोट करने के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा।

- (ii) जो शेयरधारक वोटिंग की तारीख से पहले ही वोट डाल चुके हैं उन्हें बैठक के स्थान पर वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
- (iii) सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा दी गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसार डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले अलग-अलग शेयरधारकों को भागीदारों और डिपॉजिटरी भागीदारों के पास रखे गए उनके डी-मैट खातों के माध्यम से वोट डालने की अनुमति दी गई है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग सुविधा लेने के लिए अपने डी-मैट खातों में अपना मोबाइल नं. और ई-मेल आईडी को अपडेट करें।
- (iv) ऊपर निर्दिष्ट सेबी परिपत्र के अनुसरण में डी-मैट रूप से प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए लॉग-इन करने की पद्धति नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का स्वरूप	लॉग-इन पद्धति
सीडीएसएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	<p>1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल की ईजी/ईजीएस्ट सुविधा का विकल्प दिया है वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर सकते हैं। आगे किसी प्रमाणिकता के बिना ई वोटिंग वाले पेज पर पहुँचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीएस्ट पर लॉगइन करने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है और लॉगइन आईकॉन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम माईईजी को स्लेक्ट करें।</p> <p>2) ईजी/ईजीएस्ट पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद प्रयोक्ता ईवोटिंग मैनु को देख सकेंगे। निर्गमकर्ता/कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ईवोटिंग मैनु पर क्लिक करने पर प्रयोक्ता सम्बन्धित ईवोटिंग सर्विस प्रोवाइडर (ईएसपी) अर्थात सीडीएसएल/एनएसडीएल/कार्बी/लिंग इनटाइम के लिंक सहित अपनी धारिता को देख सकेंगे। तदनुसार हम ईएसपी को लिंक उपलब्ध करा रहे हैं ताकि प्रयोक्ता ईवोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की साइट पर सीधे ही पहुंच सकें।</p> <p>3) यदि प्रयोक्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है तो https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर पंजीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध है।</p> <p>4) वैकल्पिक रूप से, प्रयोक्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डी-मैट खाता नं. और पैन नं. देते हुए ईवोटिंग वाले पेज पर सीधे ही पहुंच सकता है। यह सिस्टम डी-मैट खाते में रिकार्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर प्रयोक्ता को प्रमाणित करेगा। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद प्रयोक्ता को सम्बन्धित ईएसपी, जहां ईजीएम के दौरान या उससे पूर्व ई-वोटिंग होती है, के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।</p>
एनएसडीएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	<p>1) यदि आप एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट पर जाएं। या तो निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करते हुए वेब ब्राउजर</p>

	<p>खोल सकते हैं। ई-सर्विसस का होम पेज खुल जाने पर "लागइन", जो आईडीईएस सेक्शन के अधीन उपलब्ध है के अन्तर्गत "बेनिफिशियल ऑनर" आईकॉन पर क्लिक करें, जिससे एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद आप ई-वोटिंग सर्विसिज को देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसिज के अधीन "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज को देख सकेंगे। आईएफसीआई के नाम या ईएसपी नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि या वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा।</p> <p>2) यदि प्रयोक्ता आईडीईएस ई-सर्विसिज सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं है तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध है। "रजिस्टर ऑनलाइन फॉर आईडीईएस पोर्टल" का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>3) एनएसडीएल की ईवोटिंग वेबसाइट पर जाएं। या तो अपने पर्सनल कम्प्युटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://evoting.nsdl.com को टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोले। ईवोटिंग सिस्टम का होम पेज खुल जाने पर "लागइन" आईकॉन पर क्लिक करें जो शेयरधारक/ मेम्बर सेक्शन पर उपलब्ध है। इससे एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। आपको यहा अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका 16 अंकों वाला डीमैट अकाउंट नम्बर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड डालना होगा। सफलता प्रमाणीकरण होने के बाद एनएसडीएल डिपोजिटरी साइट पर जाने का निर्देश दिया जाएगा। कम्पनी के नाम या ईवोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि या वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा।</p>
<p>अपने डिपाजिटरी भागीदार के माध्यम से लॉगइन करने वाले शेयरधारक (डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले)</p>	<p>ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपाजिटरी भागीदार के माध्यम से अपने डी-मैट खाते की लॉगइन साख का उपयोग करते हुए भी लॉगइन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगइन होने के बाद आप ई-वोटिंग का विकल्प देख सकेंगे। जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं तो प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाने के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल भागीदार की साइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग के फीचर्स देख सकेंगे। कम्पनी के नाम अर्थात् आईएफसीआई लिमिटेड या ईएसपी नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि या वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए ईएसपी की वेबसाइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा।</p>

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड भूल गए हैं उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगैट यूजर आईडी और फॉरगैट पासवर्ड ऑप्शन का उपयोग करें।

भागीदार अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन से सम्बन्धित किसी तकनीकी मामले के लिए डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए हैल्पडेस्क।

लॉगइन का प्रकार	हैल्पडेस्क के विवरण
सीडीएसएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	लॉगइन में किसी तकनीकी रूकावट के लिए सदस्य सीडीएसएल के helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज कर अनुरोध कर सकते हैं या 022-23058738 तथा 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	लॉगइन में किसी तकनीकी रूकावट के लिए सदस्य एनएसडीएल के evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भेज कर अनुरोध कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 1020 990 तथा 1800 22 4430 पर संपर्क कर सकते हैं।

(V) अलग-अलग शेयरधारकों को छोड़कर, शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों के लिए ईवोटिंग और वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए लॉगइन पद्धति।

- 1) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें।
- 2) "शेयरहोल्डर्सयू मॉड्यूलस" पर क्लिक करें।
- 3) अब अपना यूजर आईडी डालें
 - क. सीडीएसएल के लिए: शेयरधारक अपना 16 डिजिट का आईडी डालें
 - ख. एनएसडीएल के लिए: 8 वर्णों का डीपी आईडी और 8 अंकों का क्लाइंट आईडी डालें
 - ग. भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य कम्पनी में पंजीकृत अपना फोलियो नम्बर डालें।
- 4) इसके उपरांत यथाप्रदर्शित इमेज वैरिफिकेशन की प्रविष्टि करें और लॉग इन पर क्लिक करें।
- 5) यदि आपके पास डीमैट के रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है और इससे पहले किसी और कम्पनी की ईवोटिंग की है तो आपको अपना मौजूदा पासवर्ड ही इस्तेमाल करना होगा।
- 6) यदि आप पहली बार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो नीचे बताया गया तरीका अपनाएं:

	अलग-अलग शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों को छोड़कर, डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 वर्णों व अंकों वाला पैन नं- डालें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू)। <ul style="list-style-type: none"> • जिन सदस्यों ने अपना पैन कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के पास अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम नं. का प्रयोग करें या कम्पनी/आरटीए से सम्पर्क करें।

लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि	लॉगइन करने के लिए आपने डीमैट खाते या कम्पनी में दिए गए रिकार्ड के अनुसार, लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि डालें। <ul style="list-style-type: none"> यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कम्पनी के रिकार्ड में नहीं हैं तो कृपया ऊपर निर्दिष्ट अनुदेश (iii) में यथानिर्दिष्ट लाभांश बैंक विवरण में सदस्यता आईडी/फोलियो नं. की प्रविष्टि करें।
---	---

- (vi) इन विवरणों की उपयुक्त रूप से प्रविष्टि करने के बाद, 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
- (vii) उस समय भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य सीधे तौर पर कम्पनी की चयन स्क्रीन पर जाएंगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रिएशन' मैन्यू में जाएंगे, जहां उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का इस्तेमाल केवल डीमैट धारकों द्वारा ही किसी अन्य कम्पनी के संकल्पों के लिए वोट देने के लिए भी किया जा सकता है बशर्ते कि वह कम्पनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के जरिए ई-वोटिंग का विकल्प अपनाए। इस बात की दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें।
- (viii) भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य इस सूचना में निर्दिष्ट संकल्पों पर केवल ई-वोटिंग के लिए इन विवरणों का प्रयोग कर सकते हैं।
- (ix) आईएफसीआई के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- (x) वोटिंग पृष्ठ पर आपको 'संकल्प विवरण' दिखाई देगा और उसके सामने वोट देने के लिए आपको 'हां/नहीं' का विकल्प दिखाई देगा। अपनी इच्छा के अनुसार 'हां' अथवा 'नहीं' का विकल्प चुनें। 'हां' विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत हैं और 'नहीं' विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- (xi) यदि आप समग्र संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो 'संकल्प फाइल लिंक' पर क्लिक करें।
- (xii) संकल्प का चयन करने के बाद आपने वोट करने का निर्णय किया है तो 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। तब आपको एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओके' बटन पर क्लिक करें और यदि आप अपना वोट बदलना चाहते हैं तो 'कौंसिल' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट में संशोधन करें।
- (xiii) एक बार संकल्प पर अपने वोट की 'पुष्टि' करने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) आप वोटिंग पेज पर 'प्रिंट के लिए यहां क्लिक करें' बटन पर क्लिक करके अपने द्वारा दिए गए वोट का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- (xv) यदि डीमैट खाताधारक अपना बदला हुआ लॉग-इन करने का पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज वेरीफिकेशन कोड एंटर करें और 'फॉरगेट पासवर्ड' पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दें।

(xvi) व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए रिमोट वोटिंग सुविधा

- व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों (अर्थात् किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, गैर निवासी भारतीय आदि को छोड़कर) तथा अभिरक्षक के लिए यह अपेक्षित है कि वे www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और “कॉर्पोरेट” के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें।
- संस्था को हस्ताक्षरित तथा मुहर लगे पंजीकरण प्रपत्र की एक स्कैन की गई कापी helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करनी होगी।
- लॉग-इन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए एक अनुपालन प्रयोक्ता का सृजन करना होगा। अनुपालन प्रयोक्ता उन्हें उस खाते (खातों) के साथ जोड़ेगा, जहां वे वोट करना चाहता है।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल से भेजी होगी और जिससे वे खातों के अनुमोदन के बाद अपना वोट डाल सकेंगे।
- उन्हें बोर्ड संकल्प व मुख्तारनामे की स्कैन की गई एक प्रति सिस्टम में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी जिसे उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया हो, ताकि पड़ताल करने वाला प्राधिकारी उसका सत्यापन कर सके।
- वैकल्पिक रूप से, गैर व्यक्तिगत शेयरधारकों को सम्बन्धित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि साथ में विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित, जो वोट देने के लिए अधिकृत है, पड़ताल अधिकारी और कम्पनी को ई-मेल पते अर्थात् complianceofficer@ifcilttd.com पर भेजी होगी, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है और सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली से इसे अपलोड नहीं किया है, तो पड़ताल अधिकारी को सत्यापित करने के लिए भेजा जाएगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग (वैन्डू वोटिंग) के लिए एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं -

1. ईजीएम के दिन बैठक तथा ई-वोटिंग में भाग लेने की प्रक्रिया ऊपर दिए गए रिमोट ई-वोटिंग के अनुदेशों के अनुसार ही है।
2. रिमोट ई-वोटिंग के लिए उक्त दिए गए अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए लिंक उपलब्ध होगा, जहां कम्पनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
3. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है वह बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि वे ईजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।
4. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे बैठक में लैपटॉप/आईपैड की मार्फत भाग लें।
5. इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को कैमरा और अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का उपयोग करना होगा, ताकि बैठक के दौरान किसी तरह की कोई बाधा न हो।
6. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइसिस या टैबलेट्स या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े हुए लैपटॉप की मार्फत अपने सम्बन्धित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो वीडियो में रूकावट का सामना करना पड़

सकता है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि वे स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन का उपयोग करें, ताकि ऊपर दी गई किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।

7. जो शेयरधारक ईजीएम के दौरान अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे ईजीएम से कम से कम सात दिन पूर्व स्पीकर के रूप में अपना अनुरोध complianceofficer@ifcilttd.com को भेजकर स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं, जिसके साथ उन्हें अपना नाम, डी-मैट खाता संख्या/फोलियो नं., ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. भी देना होगा।
8. जिन शेयरधारकों ने स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराया है केवल वे ही ईजीएम के दौरान अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं/प्रश्न पूछ सकते हैं बशर्ते कि इसके लिए पर्याप्त समय हो।
9. जो शेयरधारक ईजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं परन्तु उनके कुछ प्रश्न हैं, वे अपना नाम, डी-मैट खाता संख्या/फोलियो नं., ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. देते हुए ईजीएम से सात दिन पूर्व अपने प्रश्न complianceofficer@ifcilttd.com पर भेज सकते हैं। यदि आवश्यक समझा गया तो इन प्रश्नों का उत्तर कम्पनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से दिया जाएगा।
10. केवल वही शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट नहीं दिया है और जिन्हें ऐसा करने के लिए अन्यथा रोका नहीं गया है, ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
11. यदि ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट दिया जाता है और यदि उसी शेयरधारक ने वीसी/ओएवीएम पद्धति के माध्यम से ईजीएम में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अवैध माना जाएगा, क्योंकि ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल ईजीएम में उपस्थित होने वाले शेयरधारकों को ही उपलब्ध है।

उन शेयरधारकों के लिए पद्धति, जिनके ई-मेल आईडी इस सूचना में प्रस्तावित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगइन साख प्राप्त करने के लिए भागीदारों के पास पंजीकृत नहीं हैं

भौतिक शेयरधारकों के लिए	कृपया फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) जैसे विवरण ईमेल के द्वारा कम्पनी को complianceofficer@ifcilttd.com पर और आरएण्डएसटीए को admin@mcsregistrars.com ; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर भेजें।
डीमैट शेयरधारकों के लिए	कृपया डीमैट खाते के विवरण (सीडीएसएल का 16 अंकों वाला हितोपभोगी का आईडी या एनएसडीएल का 16 अंकों वाला डीपी आईडी व क्लार्ईट आईडी), नाम, क्लार्ईट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति पैन (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति)कम्पनी को complianceofficer@ifcilttd.com पर और आरएण्डएसटीए को admin@mcsregistrars.com ; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर भेजें।

यदि ईजीएम में उपस्थित होने तथा सीडीएसएल की ई-वोटिंग पद्धति से ईवोटिंग के सम्बन्ध में आपका कोई प्रश्न अथवा मुद्दा हो तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या 022-23058738 और 022-23058542/43 पर सम्पर्क कर सकते हैं। ईवोटिंग की सुविधा से सम्बन्धित सभी शिकायतें निम्नलिखित को सम्बोधित की जाएं:

श्री राकेश दलवी, प्रबन्धक
सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसेस (इंडिया लिमिटेड)
ए विंग, 25 वां तल, मैराथान फ्यूचरेक्स
मफतलाल मिल कम्पाउंड्स
एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई)
मुम्बई - 400 013
ई-मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com
फोन नं- 022-23058542/43

अन्य सूचना:

- (क) कट ऑफ तारीख तक अर्थात् (बृहस्पतिवार, 17 फरवरी, 2022) भौतिक रूप में अथवा डीमैट रूप में शेयर रखने वाले कम्पनी के शेयरधारक ही रिमोट ईवोटिंग या ईजीएम में वीसी/ओएवीएम की मार्फत, जो भी मामला हो, स्थल वोटिंग से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। यदि कोई व्यक्ति कट ऑफ तारीख को सदस्य नहीं है तो उसे इस नोटिस को केवल सूचना के प्रयोजन से ही माना जाएगा।
- (ख) रिमोट ईवोटिंग की अवधि सोमवार, 21 फरवरी, 2022 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और बुधवार, 23 फरवरी, 2022 को सायं 5:00 बजे(आईएसटी) समाप्त हो जाएगी। इसके बाद वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा।
- (ग) जो सदस्य वार्षिक महासभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट दे चुके हैं, वे केवल वीसी/ओएवीएम की मार्फत वार्षिक महासभा में भाग ले सकते हैं परंतु वे अपना वोट पुनः डालने के पात्र नहीं होंगे।
- (घ) शेयरधारक मतदान के लिए केवल एक ही तरीका अपना सकते हैं अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग या बैठक में वीसी/ओएवीएम की मार्फत स्थल मतदान। दोनों तरीकों से वोट देने के मामले में रिमोट ई-वोटिंग की मार्फत दिए गए वोट को अन्तिम वोट माना जाएगा और ईजीएम में वीसी/ओएवीएम की मार्फत ईवोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ङ.) निदेशक बोर्ड ने श्री देवेश वशिष्ठ (सदस्यता संख्या एफ 8488 व सीओपी-13700), प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को नियुक्त किया है और उनके अनुपस्थित रहने पर मैसर्स संजय ग्रोवर एण्ड एसोसिएट की सुश्री प्रियंका (सदस्यता संख्या ए 41459 व सीओपी-16187), प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग की समीक्षा, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से मतदान करवाने तथा उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
- (च) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.ifcilt.com तथा सीडीएसएल की

वेबसाइट www.evoting@cdslindia.com पर तत्काल प्रदर्शित किया जाएगा और परिणाम घोषित होने के बाद इसे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही इन परिणामों को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लि. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. को प्रेषित कर दिया जाएगा।

- (छ) जिन सदस्यों के पास इक्विटी शेयर भौतिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में हुए परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि., एफ-65, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-पू नई दिल्ली-110 020 को अपना पंजीकृत फोलियो नम्बर बताते हुए शीघ्र सूचित करें। डी-मैट रूप में धारित शेयरों के सम्बन्ध में पते में परिवर्तन की सूचना सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदार को दी जानी अपेक्षित है।
- (ज) जिन सदस्यों के पास एक ही नाम से एक से अधिक फोलियो हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को भेजें ताकि उनकी धारिता को एक ही फोलियो में समेकित किया जा सके और उन्हें बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।
- (झ) बेहतर निवेशक सेवाओं तथा कम्पनी के पास पड़े हुए अदावाकृत लाभांशों के सम्बन्ध में सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने पैन तथा बैंक खाता विवरण आरएण्डएसटीए/डिपोजिटरी भागीदारों, जैसा भी मामला हो, अद्यतन कराएं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे विवरणों के लिए आईएफसीआई की वेबसाइट www.ifcilt.com देखें।
- (ञ) एमसीए के दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र संख्या 20/2020 तथा एमसीए परिपत्र संख्या 01/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020 के अनुसार ईजीएम की सूचना इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपोजिटरी भागीदार के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त कोई अद्यतन, सूचना यदि कोई हो, कम्पनी की वेबसाइट www.ifcilt.com पर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 1

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 2021-22 के बजटीय आबंटन के अनुसार आईएफसीआई लिमिटेड को कम्पनी की शेयर पूंजी के अभिदान के रूप में 100 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबन्धों के अनुसार, कम्पनी निजी धारिता के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग नहीं कर सकती जब तक कि इनका आबंटन न हो और आबंटन के विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दर्ज न कराए गए हों।

भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित अधिमान्य आबंटन से सम्बन्धित आवश्यक प्रकटन निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	विवरण	ब्योरा												
1.	अधिमान्य निर्गम के उद्देश्य तथा बोर्ड संकल्प पारित होने की तारीख	<p>प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम का उद्देश्य कंपनी की शेयर पूंजी के अभिदान के लिए 100 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के लिए भारत सरकार को इक्विटी शेयर आवंटित करना है। अधिमान्य निर्गम की आय का उपयोग कंपनी की तरलता की स्थिति में सुधार, उसके ऋण दायित्वों की पूर्ति, स्थापना और अन्य संबंधित खर्चों को पूरा करने और कंपनी के प्रमुख वित्तीय अनुपात में सुधार के लिए किया जाएगा।</p> <p>बोर्ड ने 25 जनवरी, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में, भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के अधिमान्य निर्गम को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, जो शेयरधारकों, स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्राधिकरणों के अनुमोदन के अधीन आवश्यक था।</p>												
2.	जारी की जाने वाली कुल/विशिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या और कुल राशि जो कम्पनी इस निर्गम से जुटाने की इच्छुक है	कम्पनी प्रत्येक 10/- रुपए (दस रुपए) के अंकित मूल्य वाले 6,10,12,812 (छः करोड़ दस लाख बारह हजार आठ सौ बारह) इक्विटी शेयर, ("इक्विटी शेयर") भारत सरकार को 16.39 रुपए (सोलह रुपए उनतालीस पैसे केवल) प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर {6.39 रुपए (छः रुपए उनतालीस पैसे केवल) के प्रीमियम सहित} शेयर के मूल्य पर कुल मिलाकर 100,00,00,000 रुपए (एक सौ करोड़ रुपए) के शेयर जारी करने की इच्छुक है।												
3.	व्यक्ति की श्रेणी जिसे आबंटन किया जाना प्रस्तावित है	इक्विटी का आबंटन कम्पनी के प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को किया जाना प्रस्तावित है।												
4.	प्रस्ताव को अभिदत्त करने के लिए जारीकर्ता के प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों का आशय	कम्पनी के प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि तक अधिमान्य आधार पर इक्विटी शेयर अभिदत्त करने की इच्छा व्यक्त की है। कम्पनी के निदेशकों या प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों का प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम को अभिदत्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।												
5.	अधिमान्य निर्गम से पूर्व और इसके पश्चात् जारीकर्ता का शेयरधारिता पैट्रन	<p>अधिमान्य निर्गम से पूर्व शेयरधारिता पैट्रन 31 दिसम्बर 2021 को समाप्त तिमाही के अनुसार शेयरधारिता पैट्रन निम्नानुसार है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>श्रेणी</th> <th>इक्विटी शेयरों की संख्या</th> <th>इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">प्रवर्तक शेयरधारिता {क}</td> </tr> <tr> <td>भारतीय: भारत सरकार</td> <td>1302941258</td> <td>63.81</td> </tr> <tr> <td>जन साधारण</td> <td>----</td> <td>----</td> </tr> </tbody> </table>	श्रेणी	इक्विटी शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत	प्रवर्तक शेयरधारिता {क}			भारतीय: भारत सरकार	1302941258	63.81	जन साधारण	----	----
श्रेणी	इक्विटी शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत												
प्रवर्तक शेयरधारिता {क}														
भारतीय: भारत सरकार	1302941258	63.81												
जन साधारण	----	----												

	निगमित निकाय	----	----
	उप जोड़		
	विदेशी प्रवर्तक	----	----
	उप जोड़ {क}	1302941258	63.81
	गैर प्रवर्तक धारिता {ख}		
	संस्थागत निवेशक	177145060	8.67
	गैर-संस्थागत		
	निजी निगमित निकाय	27731169	1.36
	निदेशक व सम्बन्धी	----	----
	भारतीय जनता	469993432	23.02
	अन्य	64167574	3.14
	उप-जोड़ {ख}	739037235	36.19
	सकल जोड़	2041978493	100.00
	अधिमान्य निर्गम के बाद शेयरधारिता पैट्रन 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के अनुसार शेयरधारिता पैट्रन निम्नानुसार है:		
	श्रेणी	इक्विटी शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत
	प्रवर्तक शेयरधारिता {क}		
	भारतीय: भारत सरकार	1363954070	64.86
	जन साधारण	----	----
	निगमित निकाय	----	----
	उप जोड़		
	विदेशी प्रवर्तक	----	----
	उप जोड़ {क}	1363954070	64.86
	गैर प्रवर्तक धारिता {ख}		

		संस्थागत निवेशक	177145060	8.42
		निजी निगमित निकाय	27731169	1.32
		निदेशक व सम्बन्धी	----	----
		भारतीय जनता	469993432	22.35
		अन्य	6416754	3.05
		उप-जोड़ {ख}	739037235	35.14
		सकल जोड़	2102991305	100.00
6.	अधिमान्य निर्गम पूरा होने की अवधि	<p>कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसरण में इक्विटी शेयरों का आबंटन निम्नलिखित अवधि में किया जाएगा:</p> <p>क) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 (प्रतिभूतियों का निजी धारण) के उपबन्धों के अनुसार शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर और;</p> <p>ख) कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के आबंटन के अनुमोदन का विशेष संकल्प पारित होने के 15 दिन के अंदर और ऐसा कोई अन्य अनुमोदन, जो पहले हो, जो इस सम्बन्ध में लिया जाना अपेक्षित है।</p>		
7.	स्वाभाविक व्यक्तियों की पहचान जो प्रस्तावित शेयर आबंटन से वास्तविक रूप से लाभान्वित होंगे और/या उनके द्वारा धारित अधिमान्य निर्गम के पश्चात् पूंजी का प्रतिशत तथा अधिमान्य निर्गम के परिणामस्वरूप जारीकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो।	<p>शेयर कम्पनी के प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार को आबंटित किए जाने प्रस्तावित हैं और ये शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर धारित होंगे।</p> <p>प्रस्तावित आबंटन के पश्चात् कम्पनी के नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।</p> <p>इक्विटी शेयरों के आबंटन के पश्चात् कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 64.86 प्रतिशत भारत सरकार के पास होगा।</p>		
8.	वचनपत्र कि इन विनियमों के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार, जहां यह करना अपेक्षित हो, जारीकर्ता विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्यों की पुनः गणना करेगा।	लागू नहीं।		
9.	वचनपत्र कि यदि आईसीडीआर विनियमों में निर्धारित अवधि के दौरान पुनः गणना की गई राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां ऐसे समय तक, जब तक आबंटियों द्वारा भुगतान न किया जाए,	लागू नहीं।		

	अवरुद्ध रहेंगी ।	
10.	आईसीडीआर विनियमों की अनुसूची-VI में विनिर्दिष्ट प्रकटन, यदि जारीकर्ता या इसके किसी प्रवर्तक या निदेशक ने जानबूझ कर कोई चूक की है ।	लागू नहीं, क्योंकि न तो जारीकृता और न ही इसके प्रवर्तक या निदेशक जानबूझकर चूककर्ता हैं या धोखाधड़ी वाले ऋणी हैं ।
11.	अधिमान्य निर्गम के बाद आबंटनकर्ताओं की विद्यमान तथा प्रस्तावित स्थिति अर्थात् प्रवर्तक या गैर-प्रवर्तक	अधिमान्य निर्गम के बाद आबंटिती की वर्तमान तथा प्रस्तावित स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रवर्तक ही रहेगा ।
12.	इस बात पर विचार करते हुए कि प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम आईसीडीआर विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप जारी किया गया है, को प्रमाणित करते हुए शेयरधारकों की महासभा के समक्ष प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव के प्रमाणपत्र की प्रति रखना । जारीकर्ता उक्त उल्लिखित प्रमाणपत्र को वेबसाइट पर लगाएगा और इसका लिंक ईजीएम नोटिस में देगा ।	वीसी/ओएवीएम की मार्फत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयोजित ईजीएम में शेयरधारकों के समक्ष प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव का प्रमाणपत्र रखा जाएगा । प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव का उक्त प्रमाणपत्र कम्पनी की वेबसाइट www.ifcilttd.com पर भी उपलब्ध है ।
13.	निर्गम का मूल्य	ये इक्विटी शेयर भारत सरकार से बैंकिंग चैनल द्वारा शेयर आवेदन राशि के रूप में पहले से प्राप्त राशि के मद्दे जारी किए जाएंगे ।
14.	पंजीकृत मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ नकदी के अलावा मूल्य के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित आबंटन का औचित्य	लागू नहीं
15.	पंजीकृत मूल्यांकक की रिपोर्ट सहित मूल्य तक पहुंचने के आधार	मूल्य तक पहुंचने का आधार सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 164, आईएफसीआई के सूचीबद्ध इकाई होने के नाते । अतः पंजीकृत मूल्यांकक की रिपोर्ट लागू नहीं है ।
16.	आईसीडीआर विनियमावली के अनुसार गणना किए गए मूल्य व उचित तारीख	उचित तारीख मंगलवार, 25 जनवरी, 2022 (अर्थात् 24 फरवरी, 2022 को होने वाली असाधारण महासभा की तारीख से 30 दिन पूर्व) है । आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 164 के अनुसार गणन किया गया मूल्य सिक्युरिटी प्रीमियम के 6.39 रुपए सहित 16.39 रुपए प्रति शेयर है ।
17.	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान पहले ही अधिमान्य आधार पर आबंटन किया गया है, प्रतिभूतियों की संख्या व उसका मूल्य	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कम्पनी ने 10/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर से 14,59,85,401 इक्विटी शेयर भारत सरकार को, भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से अधिमान्य आधार पर 23 अप्रैल, 2021 को 13.70 की दर से (3.70 रुपए के सिक््युरिटी प्रीमियम सहित) आबंटित किए थे ।

कम्पनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक या उनका सम्बन्धी इस संकल्प से वित्तीय रूप से या अन्य किसी प्रकार से समम्द्ध या हितबद्ध नहीं है, सिवाय सरकारी नामित निदेशकों के रूप में उनकी आधिकारिक हैसियत के अतिरिक्त, कोई व्यक्तिगत हित नहीं है ।

आपके निदेशक सदस्यों से इस विशेष संकल्प का अनुमोदन करने की सिफारिश करते हैं ।

पंजीकृत कार्यालय

आईएफसीआई टावर

61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019

सीआईएन: L74899DL1993GOI053677

टेलीफोन:011-41732000, फैक्स: 011-26230201

वेबसाइट: www.ifcilt.com

ई-मेल: complianceofficer@ifcilt.com

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार

(प्रियंका शर्मा)

कम्पनी सचिव

दिनांक: 25 जनवरी, 2022

असाधारण महासभा स्थल का मानचित्र और प्रसिद्ध लेंडमार्क

देश में फैली कोविड-19 की महामारी के परिणामस्वरूप, असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 और 39/2020 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिपेक्ष्य में सामाजिक दूरी पूर्व-अपेक्षा है और महासभाओं (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों की प्रयोज्यता के संदर्भ में दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के स्पष्टीकरण/ दिशानिर्देश के अनुसार कम्पनी सभागार, प्रथम मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-19 में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण महासभा आयोजित करेगी । कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार यह बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है और स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति अपेक्षित नहीं है और असाधारण महासभा की कार्यवाही बैठक के स्थल पर की गई मानी जाएगी ।